

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन, (म०प्र०)

// ज्ञापन //

क्रमांक: 535/दो-12-12/78(केंटीननिलामी),
प्रति,

रायसेन, दिनांक 27/03/2018

**संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल**

विषय:- वर्ष 2018-19 के लिये केंटीन टेके की नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन
बावत ।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत यथा निर्देशानुसार लेख है कि, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन के न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन का वर्ष 2018-19 की नीलामी हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाना है ।

अतः एक स्थानीय तथा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु नीलामी विज्ञप्ति प्रारूप 06 प्रतियो में संलग्न प्रेषित है, कृपया समयावधि में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ।
सहपत्र- उपरोक्तानुसार ।

वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म०प्र०)

क्रमांक: 538/दो-12-12/78(केंटीननिलामी),
यथा निर्देश प्रतिलिपि:-

रायसेन, दिनांक 27/03/2018

- 1- जिला जनसंपर्क अधिकारी, रायसेन संलग्न नीलामी विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में समयावधि में प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ।
- 2- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायसेन की ओर यथा निर्देश विशेष वाहक के माध्यम से संबंधित कार्यालय को नीलामी विज्ञप्ति, ज्ञापन सहित भेजे जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 3- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि नीलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 4- लेखापाल जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म०प्र०)

(OROF) नरिगाय इतिहासगत हल हय ताली प्रतीकाक

\\ नपाइ \\

3105 \ 90 \ काठमाडौं नगरपालिका

(सिमानासिर्जने) 31 \ 31 - 31 - 31 \ काठमाडौं नगरपालिका

प्रस्तावित
प्रस्तावित कार्यवाही
नगरपालिका, काठमाडौं

नगरपालिका प्रशासकीय विभागले कि कसैले नभएको कुरा कि 31-3105 हल - 3105
। ताली

-00-

हय ताली प्रतीकाक ताली कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
कि 31-3105 हल हय ताली प्रतीकाक ताली कि कसैले नभएको कुरा कि
। कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
हुनु ताली प्रतीकाक ताली कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
नगरपालिका प्रशासकीय विभागले कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
। कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि

प्रस्तावित कार्यवाही - 3105
(OROF) नगरपालिका

3105 \ 90 \ काठमाडौं नगरपालिका

(सिमानासिर्जने) 31 \ 31 - 31 - 31 \ काठमाडौं नगरपालिका

प्रस्तावित कार्यवाही प्रशासकीय विभागले कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
। कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
हुनु ताली प्रतीकाक ताली कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
नगरपालिका प्रशासकीय विभागले कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
। कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
हुनु ताली प्रतीकाक ताली कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
नगरपालिका प्रशासकीय विभागले कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि
। कि कसैले नभएको कुरा कि कसैले नभएको कुरा कि

प्रस्तावित कार्यवाही - 3105
(OROF) नगरपालिका

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

:: नीलामी विज्ञप्ति ::

कमांक: 530/दो-12-12/78(कैटीननिलामी),

रायसेन, दिनांक 27/03/2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय भवन परिसर रायसेन स्थित कैटीन के संचालन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए ठेका दिया जाना है। अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नजारत अनुभाग रायसेन में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।

:: शर्तें ::

- 1- निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एग्रीमेंट स्टाम्प पर तीन दिन के अंदर देना होगा।
- 2- कैटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी।
- 3- ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.3.2019 तक होगी।
- 4- कैटीन में सफाई आदि न होने पर खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जावेगी।
- 5- प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जावेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकमुश्त अदा करनी होगी।
- 6- कैटीन में जो खाद्य सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- 7- ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- 8- निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) नगद नजारत अनुविभाग में जमानत के रूप में जमा करना होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी। बिना जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 9- निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम 4.00 बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जावेंगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नहीं होंगे।
- 10- कैटीन संचालन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह कैटीन की साफ सफाई रखेगा। आज दिनांक 27/3/18 को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई।

(विमल प्रकाश शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन

रायसेन, दिनांक 27/03/2018

पृष्ठांक. / 533/दो-12-12/78(कैटीननिलामी),

यथा निर्देश प्रतिलिपि :-

- 1- प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थल बसस्टैंड, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि नीलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित वेबसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करें।
- 4- लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन

